COURT FEE 5 RS. भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE 5 RS. भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE 5 RS. भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

15/-

(SD) (46)

न्यायालय - माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क्र0 - III/06 निगरानी

R 2378-II/06

श्री आर. पी. सिंह एडवोकेट द्वारा आज दि० 23-12-06 को प्रस्तुत।
सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

Adv. 23.12.06 P. SINGH

1- रामलल्लू पुत्र श्री शंकर चमार
2- रामजियावन पुत्र श्री शंकर चमार
3- लोले पुत्र श्री शंकर चमार
4- रामस्वरूप पुत्र श्री शंकर चमार
निवासी ग्राम विहरा, तहसील
सिंगरोली, जिला सीधी (म0प्र0)

----- आवेदकगण।

बनाम

1- रतिभान पुत्र रामभरोसे भाट
2- मं॰कुन्ती बेवा रामलखन
3- रामब्रज पुत्र रामलखन
4- भोलेनाथ पुत्र रामलखन
5- राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामलखन
6- सुरेन्द्र प्रसाद पुत्र रामलखन
7- रामनाथ पुत्र श्री रामसुन्दर
8- जूठनराम (मृत) वारिसान -
(1) हीरामनी पुत्री जूठनराम
(2) श्रीमती मुन्नी देवी पुत्री जूठनराम
(3) दुर्गाराम पुत्र जूठनराम
(4) लालचन्द्र पुत्र जूठनराम
(5) जगरूप देवी बेवा जूठनराम
निवासी ग्राम ~~-~~ गरौहा, तहसील
सिंगरौली, जिला- सीधी (म0प्र0)

-----अनावेदकगण।

निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता - 1959 विरूद्ध आदेश बन्दोवस्त आयुक्त म0प्र0 ग्वालियर जो कि प्र0क्र0 22/2000-01 अपील में दिनांक 15.11.2006 को पारित कियागया ।

माननीय,

आवेदकगण का निगरानी आवेदन-पत्र निम्न प्रकार पेश है :-

1- प्रकरण के तथ्य:

संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण सगे भाई होकर, अनुसूचित जाति चमार तथा भूमिहीन कृषक मजदूर की श्रेणी में आते है । ग्राम विहरा तहिसील सिंगरौली जिला सीधी स्थित शासकीय सर्वे नम्बरान 141 व 163 पर आवेदकगण वर्ष 1981-82 से खसरा खाना नं.12 में अतिक्रमण दर्ज होकर, सम्मिलित रूप से काश्त करते आ रहे थे ।

आवेदकगण द्वारा "दखल रहित भूमियों पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबन्ध अधिनियम 1984" के अन्तर्गत दिनांक 2.10.1984 से पूर्व 1981-82 से निरन्तरित एंव निर्विरोध कब्जे के आधार पर भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये जाने हेतु तहिसील न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किये गये । जिस पर से पृथक-पृथक चार प्रकरण दर्ज किये जाकर, प्रस्तुत साक्ष्य नकल खसरा वर्ष 1981 लगायत-1997, स्वंय के कथन, हल्का पटवारी रिपोर्ट, ग्राम पंचायत अभिमत व स्वंय तहिसील न्यायालय द्वारा उक्त दोनों सर्वे नम्बरान का स्थल निरीक्षण एंव आवेदकगण की पात्रता पर विचार करके, आवेदकगण को निम्न प्रकरणों में पारित आदेशों द्वारा भूमिस्वामी घोषित किया गया। व मौके पर कब्जा दिलाया गया ।

-----3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 2378–तीन/2006 जिला –सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–9–2016	आवेदक के अधिवक्ता श्री डी0एस0 चौहान उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी बन्दोवस्त आयुक्त, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 22/2000–01/अपील में पारित आदेश दिनांक 15.11.2006 के विरूद्ध इस न्यायालय में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। 2/ प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदगण द्वारा न्यायालय बन्दोंवस्त अधिकारी के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, कि ग्राम बिहरा तहसील सिंगरौली स्थित विवादित भूमि आराजी खसरा पुराना 13/6 रकबा 4.78 एकड़ 14/4 रकबा 5.00 एकड़ एवं 28/1 रकबा 0.22 डिस0 के भूमि स्वामी है । राजस्व सर्वेक्षण में इनका प्लाट गलत तैयार किया है । अतः प्लाट सुधार कराया जावें । बन्दोवस्त अधिकारी द्वारा सर्वे नं0 163 रकबा 2.02 म0प्र0 शासन के बजाय रतिभान अनावेदक क्र0 1 के नाम अंकित करके नक्शा सुधार का आदेश दिनांक 02.06.1994 पारित किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा आयुक्त बन्दोवस्त, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा आदेश दिनांक 15.11.2006 को आयुक्त बन्दोवस्त द्वारा अपील अमान्य किया गया । आयुक्त बन्दोवस्त के उक्त आदेश दिनांक 15.11.2006 से दुखित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई	

है ।

3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह बताया है कि, आवेदकगण द्वारा " दखलरहित भूमियों पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना है (विशेष उपबन्ध अधिनियम 1984) के अन्तर्गत दिनांक 02.10.1984 से पूर्व 1981–82 से निरन्तरित एवं निर्विरोध कब्जे के आधार पर भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये जाने हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किये गये, जिस पर से पृथक–पृथक चार प्रकरण दर्ज किये जाकर प्रस्तुत साक्ष्य नकल खसरा वर्ष 1981 लगायत –1997, स्वयं तहसील न्यायालय द्वारा न्यायालय द्वारा उक्त दोनों सर्वे नम्बरान का स्थल निरीक्षण एवं आवेदकगण पात्रता पर विचार करके, आवेदकगण को निम्न प्रकरणों पारित आदेशों द्वारा भूमिस्वामी घोषित किया गया व मौके पर कब्जा भी है । उन्होंने तर्क में यह भी कहा है कि बन्दोवस्त अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 233–अ–74/93–94 में दिनांक 02.06.94 को आदेश पारित करने के पूर्व यदि विहित कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप मौके की जांच कराई गई होती अथवा मौके पर कब्जे के आधार पर सुनवाई का अवसर दिया गया होता तो सम्भवतः आवेदकगण के हितों के विपरीत आदेश नहीं हो सकता था । क्योंकि किसी भी प्रकरण के लिये कब्जेदार आवश्यक पक्षकार है । अतः निगरानी स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावे।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित । अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा

अभिलेखों का बारिकी से अध्ययन किया गया । अभिलेखों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदकगण द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी, सीधी के आदेश दिनांक 02.06.94 के विरूद्ध न्यायालय बन्दोबस्त आयुक्त के समक्ष दिनांक 16.11.2000 को अपील प्रस्तुत की गई, जो लगभग 6 वर्ष 5 माह बाद प्रस्तुत की गई है । सर्वप्रथम अवधि के प्रश्न का अवधारण किया जाना उचित होगा । आवेदकगण ने विलंब क्षमा हेतु धारा 5 के आवेदन में उल्लेख किया है कि उसे प्रश्नाधीन आदेश की जानकारी तब हुई ज बवह सर्वे नं0 163 पर मक्का की फसल की बिदाई गुड़ाई कर रहा था । तब अनावेदक ने बताया कि उक्त सर्वे नं0 उसने अपने नाम करवा लिया है । पटवारी से कागजात प्राप्त करने पर दिनांक 26.09.2000 को उसे जानकारी हुई । आवेदकगण द्वारा एक तरफ वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1981 से पूर्व का कब्जा बता रहा तथा उसे उक्त भूमि वर्ष 1998 में विशेष उपबंध अधिनियम, 1984 के तहत पट्टे पर प्राप्त हुई, तब यह कहना सद्भाविक नहीं कहा जा सकता कि उसे अधीनस्थ न्यायलय के आदेश की जानकारी वर्ष 2000 में हुई । आवेदकगण ने प्रत्येक दिवस का विलंब का स्पष्ट कारण नहीं किया है । वस्तुतः धारा 5 के अन्तर्गत वैवेकिक अधिकारिता है। विलम्ब की माफी पक्षकार का अधिकार नहीं है । न्यायालय को इस वैवेकिक अधिकारिता के प्रयोग के लिये पर्याप्य सबूल पुरोभाव्य शर्त है । परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत पक्षकार विलम्ब माफी के लिये अधिकार के रूप में हकदार नहीं है । जैसा कि माननीय न्यायमूर्ति फैजान्नुद्दीन में 1992 रा.नि. 289 में श्रीमती लंगरी

एवं अन्य के आदेश व अन्य प्रकरण में कहा है " Even after the sufficient cause has been shown, a party is not entitled to condonation of delay as a matter of right. Proof of sufficient cause is a condition precedent for exercise of discretionary jurisdiction vested in the court by s.5 of the Act. Court can not extend the period of limitation prescribed by an Act of law." 1989 आर.एन. 243 में कहा गया है कि धारा 5 में प्रत्येक दिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया –पर्याप्य कारण साबित नहीं कहा जा सकता है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त की जाती है तथा बन्दोबस्त आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2006 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है ।

(के0सी0 जैन)
सेदस्य